संख्या-65/2016/2403/33-3-2016-100(12)/2014

प्रेषक,

सुशील कुमार मौर्या,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016

विषय:- डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों की जनपदों से प्राप्त कार्ययोजना में संशोधन के फलस्वरूप बचत की धनराशि अन्य जनपदों को आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/3319/2016-5/129/2016, दिनांक 8.9.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत जनपद उन्नाव, वाराणसी, कुशीनगर एवं देवरिया में रू0-279.44 लाख की बचत हो रही है तथा जनपद रायबरेली, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, श्रावस्ती एवं बांदा में रू0-279.44 लाख की आवश्यकता बतायी गयी है।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूची क के जनपदों में हो रही बचत रू0-279.44 लाख को सूची ख के जनपदों में उनकी मांग के अनुसार रू0-279.44 लाख को पुर्नआवंटित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सूची "क" के जनपद

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	संशोधित कार्ययोजना में चयनित ग्रामों की संख्या	संशोधित मांग	आवंटित धनराशि	बचत की धनराशि	निदेशालय की कंटीजेन्सी 0.2 प्रतिशत	जनपद स्तर पर वास्तविक बचत की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उन्नाव	32	290.00	420.00	130.00	0.26	129.74
2	वाराणसी	27	540.00	570.00	30.00	0.06	29.94
3	कुशीनगर	41	700.00	800.00	100.00	0.2	99.80
4	देवरिया	36	610.00	630.00	20.00	0.04	19.96
	कुल योग	136	2140.00	2220.00	280.00	0.38	279.44

http://shasanadesh.up.nic.in

सूची "ख" के जनपद

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	संशोधित कार्ययोजना में चयनित ग्रामों की संख्या	संशोधित मांग	आवंटित धनराशि	बचत की धनराशि	निदेशालय की कंटीजेन्सी 0.2 प्रतिशत	जनपद स्तर पर वास्तविक मांग की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली	37	330.00	300.00	30.00	0.06	29.94
2	संतकबीरनगर	29	520.00	510.00	10.00	0.02	9.98
3	इलाहाबाद	43	1030.00	1020.00	10.00	0.02	9.98
4	श्रावस्ती	25	660.00	470.00	190.00	0.38	189.62
5	बांदा	28	580.00	540.00	40.00	0.08	39.92
	योग	162	3120.00	2840.00	280.00	0.56	279.44

3- उक्त पूर्नआवंटन की धनराशि इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि उक्त धनराशि वर्ष 2016-17 के लिए पूर्व में जारी शासनादेश से आवंटित थी। इस धनराशि की द्वितीय पुनरावृत्ति की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2015-16 की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

भवदीय,

(सुशील कुमार मौर्या)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांकः-तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, रायबरेली, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, श्रावस्ती, बांदा

http://shasanadesh.up.nic.in

5.. मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, उन्नाव, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, रायबरेली, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, श्रावस्ती, बांदा।

6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।

7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in